हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 नवम्बर, 1974

खण्ड 4, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय–सूची

बुधवार, 27 नवम्बर,1974

पृश्ठ

संख्या

तारांकित प्र न उत्तर (2) 1

बहिर्गमन– चौधरी राम लाल वधवा द्वारा (2) 15

कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन (2) 16

मेज पर रखे गये कागज–पत्र (2) 18

वर्श 1974–75 के अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त)

पे ा करना। (2) 18

वर्श 1974–75 के अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त)

पर प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पें ा करना (2) 18

दी हरियाणा लैंड होल्डिरेज टैक्स (सैकिन्ड अमेन्डमैट) बिल,1974 (2) 8

दी हरियाणा मकैनिकल वहि कल्ज (बिज्र टौल्ज) बिल, 1974 (2)23

दी पंजाब लैंड रैविन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974 (2)25

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 27 नवम्बर , 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल , विधान भवन,सैक्टर–1,चण्डीगढ़ में 14.00बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरुप सिंह) ने अध्यक्षता की हैं।

ताराकिंत प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Question hour.

श्रीमती चन्द्रावती: जनबा स्पीकर साहब कल भी और आज भी मुझे यही उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्रित करने में समय और श्रम लगेगा।

Mr. Speaker : No interruptions is the question hour please.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं जो अर्ज कर रही हूं वह भी क्वै न के बारे में कर रही हूं।

Mr. Speaker: Order please order.

Government College for post Graduate Classes

***966. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minster Education be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal any proposal under consideration of the Government to set up Government

College for Post Graduate Classes in the state in the Fith Five Year Plan; and

(b) if so, the name of the place where and the time by which this college is likely to be set up?

ि ाक्षा तथा परिवहन राज्यमंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):

(ए) नहीं।

(बी) प्र न ही पैदा नहीं होता।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मन्त्री महोदया यह बतलाने की

कृपा करेंगी कि करनाल में पोस्ट ग्रेजुएट कालेंज कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्रीमति प्रसन्नी देवी: करनाल में तो पहले से ही कालेज काफी हैं इसलिए वहां जरूरत महसूस नही होती।

Mr. Speaker : The reply has already come.

ि ाक्षा मंत्री (श्री मांडू सिंह मलिक): पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के बारे में यूनिवर्सिटी ग्रान्टस् कमी ान ने हिदायत दी हुंई हैं कि नये कालेज खोलें जाये।

Trucks Challaned by the Police

***989.Shrimati Chandravati**: Will the Minster for Home be pleased to state:-

(a) the number of trucks challenged by all the police stations of Haryana during the period from 1970 to-date together with the offences for which the same sere challenged; and

(b) the quantity of goods seized from the said trucks together with the manner in which such goods sere disposed of ?

Home Minister(Shri K.L. Poswal): The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived.

श्रीमति चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं यही बात कहना चाह रही थी कि कल मुझे जब कि टाईम था उसके बावजूद भी 321 और 319 सवालों के जवाब नहीं मिलें और मैंनें सोचा कि सवालों के जवाबों चलो अन–स्टार्ड ही सही तो उनमें भी यही लिखा हैं कि टाईम एन्ड लेबर इन्वालव्ड। मैंम्बर का यह हक हैं कि उसको जवाब मिलना चाहिए। तो जनबा जो मैंम्बर का हक हैं उसे भी अगर नहीं करने देते तो बताइये हम किस लिए सवाल भेजते हैं (विघ्न)

Mr. Speaker: Order please. The hon. Member should not discuss other questions at this stage.

श्रीमति चन्द्रावती: तो जनबा स्पीकर साहब जो क्वै चन अन्डर डिस्कसन हैं उसके बारे में बता दीजिए कि कितना लम्बा जवाब हैं....

Mr. Speaker: The repley has come.

श्रीमति चन्द्रावती: स्पीकर साहब यह रिप्लाई तो नही हैं। इस बारे में हम आपका संरक्षण चाहते हैं। आप बता दीजिए कि क्या यह रिप्लाई हैं ?

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, जब सरकारी मैम्बर के साथ ही ऐसी हालत हो तो फिर हमारे साथ तो और भी ज्यादा बुरी हालत होगी। (विघ्न)

श्रीमति चन्द्रावती: सरकारी मैंम्बर की कोई बात नही हैं। मैं काग्रेंस पार्टी की मैम्बर हूं। मुझे बतलाया गया हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker: Reply has come. I cannot be help any further.

Market Committees

***979. Chaudhri Mehar Chand:** will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) the criteria for inclusion of villages in Market Committees; and

(b) the procedure for transfer of a village of villages from one Market Committee to another Market Committee ?

कृर्शि मंत्री (चौधरी भजन लाल): (अ) कोई लक्ष्य या नियमों में नही दिया हुआ। प्रथा के अनुसार ग्रामों को मार्कीट कमेंटियों में मिलाने का लक्ष्य, एरिया का साथ लगना, गांव जिनका

माल मार्केट में आता हैं, जिले की सीमा, मार्कीट से दूरी आदि हैं। इस संबध में निर्णय लेने के लिए कृ ाकों एवं प्र ाासकीय सुविधा का वि ोश ध्यान रखा जाता हैं।

(ब) यह बिधि व्यवहार पजांब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्किट्स ऐक्ट 1961 की धारा 6– ए और 6– बी में दी हुई है जिनकी प्रतियां हाउस के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

Copy of section 6A and 6B of the Punjab Agricultural Produce Markets Act,1961.

"6A Notification of intention to alter limits of or to amaegamate of to split up markets areas. (1) The state Government may, by notification declare its intention-

(i) to alter the limits of a market area by including therein any other area in the vicinity there of or by excluding there from any area comprised therein; or

(ii) to amalgamate two or more market areas and constitute one committee the fore; or

(iii) to spilt up a market area and to constitute two of more committees therefore.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall define the limits of the area which is intended to be included in or excluded from a market area, of the market areas intended to be amalgamated into one, or of the area of each of the markets intended to be constituted after splitting up an existing market area, as the case may be, and shall also

specify the period which shall not be less than thirty days within which objections ,if any, shall be received by the State Government.

"6B Procedure subsequent to notification under section 6A(1) Any inhabitant of the market area of the areas affected by the notification issued under sub- section (1) pf section.6A may, if he objects to anything contained therein, submit his objection in writing to the State Government within the period specified for this purpose in the said notification.

(2) When the period specified in the said notification has expired and the state Government has considered and passed orders on such objection as may have been submitted to it within the said period, the State Government, may by notification.

(a) Include the area or any part there of in the market area of exclude it there from; or

(b) Constitute a new committee for the market area amalgamated; or

(c) split up an existing market area and constitute two more committees for such areas, as the case may be."

श्रीमति मेहर चन्दः क्या मन्त्री महोदय यह फरमायेंगें कि हरियाणा में कुल कितने सब–यार्ड हैं ? हरियाणा बनने के बाद कितने सब–यार्डज को मार्कीट कमेंटी में तबदील किया गया हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय इस समय 66 सब–यार्ड हैं और 22 सब–यार्डज को मार्कीट कमेटी में कनवर्ट किया गया हैं।

चौधरी दल सिंहः क्या मंन्त्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगें कि किसी गांव को एक मार्कीट कमेटी से दूसरी मार्कीट कमेटी में सरकार ने अपनी मर्जी से तबदील करती हैं या उस गांव की अर्जदा ात पर तबदील किया जाता हैं ?

चौधरी भजन लालः दोनों ही बातें हैं। कोई गांवों वाले चाहें कि हमारा फलां गांव और फलां मंडी में तबदील कर दिया जाये तो हम देखते हैं कि उस गांव का माल कौन सी मंडी में जाता हैं, कौन सी मंडी उनके नजदीक पड़ती है और उनकी तरफ से आई हुई दरख्वास्त पर गौर करते हैं और यह भी देखते है कि इस गांव का माल कौन सी मन्डी में जाता हैं यह सारी बातें देखकर एग्जामिन करने के बाद हम उस मन्डी में ि ाफ्ट कर देते हैं यदि यह सारी बातें ठीक हों ओर इसके अलावा महकमा खुद भी एग्जामिन करके गांव एक मार्कीट कमेटी से दूसरी मार्कीट कमेटी में भाामिल कर देता हैं यदि किसी को एतराज न हो तो ।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेगें कि कितने ऐसे गांव हैं, जिनकी ऐप्लीके ान पैंड़िग हैं कि हमें फलां मंड़ी में ि ाफ्ट कर दिया जायें ?

चौधरी भजन लाल: हमारे पास किसी गांव की ऐसी डिमान्ड नही हैं।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया हैं कि जिस गांव का माल जिस मन्डी में जाता हैं उसको उसमें भाामिल कर दिया जात हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनका माल भी उन मार्किट्स में नही जाता हैं लेकिन वे उन मार्कीट कमेटीज में भाामिल हैं ?

चौधरी भजन लाल: हमारे नोटिस में कोई ऐसी बात नही हैं। अगर आनरेबल मैम्बर हमारे नोटिस में लायेंगे कि फलां मंडी में जाना चाहिए तो हम उसको एग्जामीन करवा लेगें और जो ठीक बात होगी वह कर देंगें।

चौधरी फूल सिंह काटारिया: क्या मंन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात हैं कि रैया डावला, हसनपुर आदि गांव कोसली मंडी के साथ अटैच हैं जब कि झज्जर की मन्डी उनसे 2 मील के फसले पर पड़ती हैं और कोसली की 20 मील के फासले पर पड़ती हैं, क्या उनको झज्जर के साथ लगा दिया जायेगा ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा कि अगर आनरेबल मैम्बर लिख कर भिजवायेगें तो हम उसको एग्जामीन करवा लेंगें। जो भी मंडी नजदीक लगती हैं उसमें भाामिल कर दिया जायेगा।

श्रीमति चन्द्रावतीः क्या मंन्त्री महोदय, यह बताने का काश्ट करेंगे कि मार्किट कमेटी बनाते समय किन–किन बातों का ध्यान में रखा जाता हैं। किसी मार्कीट कमेटी के साथ किसी गांव को साथ लगाते वक्त किन–किन बातों का ध्यान में रखा जाता हैं ?

चौधरी भजन लालः कोई खास काइटोरिया नहीं हैं। मार्किट वहीं बनती हैं जहां पर मन्डी हो। मंडी वह पर बनती हैं जहां पर कोई आसपास के एरिया में लोगो को तकलीफ हो और उनको अपना माल दूर ले जाना पड़ता हों।

मलिक सतराम दास बतराः क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि एक मार्किट से खरीदा हुआ माल अड़ती जब दूसरी मार्कीट में ले जाता हैं तो वह अपनी रसीद दिखाकर, टैक्स माफ करवाता हैं। इस प्रकार वह देहात के लोगों के साथ एम्बैजलमैंट करता हैं, क्या यह प्र न सरकार के विचारधीन हैं ?

चौधरी भजन लालः इससे यह प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Mr. Speaker: This in not a supplementary to this question please.

श्री धजा रामः जीन्द डिस्ट्रिक्ट में 45 गांव ऐसे हैं जो करनाल और कैथल से ट्रांसफर हो कर आये हैं। वे मार्कीट कमेटी में जीन्द में पडते हैं, उनकी तहसील भी जीन्द हैं लेकिन आज

तक वे कैथल तहसील की मार्कीट कमेटी के एरिया में हैं तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको जीन्द मार्कीट में भाामिल कर दिया जायेगा ?

चौधरी भजन लालः हाल ही में जो गांव जीन्द डिस्ट्रिक्ट में आये हैं उनको हम एग्जामीन कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही उन गांवो को, जो भी नजदीक मार्कीट कमेटी लगती होगी उसमें भाामिल कर दिया जायेंगा। वे जीन्द जिले की ही मार्कीट कमेटी में भाामिल हो जायेंगे।

श्री अमर सिंहः बवानी खेड़ा तहसील बनने के बाद हांसी के नजदीक गांव को बवानी खेड़ा में जाना पड़ता हैं। बवानी खेड़ा में न कोई मार्कीट कमेटी हैं और न ही वहां पर कोई कामयाब मंडी हैं। क्या मंत्री जी ऐसी जगह पर बन्दोबस्त करने का प्रबन्ध करेंगें ?

चौधरी भजन लालः तहसील बनने से पहले बवानी खेड़ा हांसी का हिस्सा था अब बवानी खेड़ा में मंडी बनने जा रही है। ज्यों ही वहां पर मंड़ी बन जायेगी तो वहां पर मार्कीट कमेटी भी बना दी जायेगी।

चौधरी फूल चन्द(मुलाना)ः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि इस वर्श भी कुछ सब–यार्डज को मार्कीट कमेटी में तबदील करने का सरकार का विचार हैं, अगर हैं तो क्या

मुलाना के सब–यार्ड को मार्कीट कमेटी में तबदील करने का विचार हैं ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, किसी सब–यार्ड को मार्कीट कमेटी में तबदील करने की बात यह है कि उस सब–यर्ड की इन्कम एक लाख रूपये से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मुलाना सब यार्ड की इन्कम एक लाख से ज्यादा हैं तो उस पर विचार किया जा सकता हैं। जिस सब–यार्ड की 20/30 हजार इन्कम हो उसको मार्कीट में तबदील नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी रा ि ा तो स्टाफ पर ही खर्च हो जाती हैं।

Conversion of Pond into Lake

***982. Shri K.N. Gulati:** Will the Minister for Home be pleased to stat:-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to convert'Pond 'at Old Faridabad into a Lake; and

(b) if so, the time by which its construction work is likely to be started ?

Home Minister(Shri. K.L.Poswal):

(a) NO

(b) Question

श्री के0 एन0 गुलाटी: स्पीकर साहब, बड़खल लेक का फायदा दिल्ली वाले ही लोग उठाते हैं क्योंकि वह फरीदाबाद से

दूर हैं। क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब फरीदाबाद में मजदूर मे किसी के लिए भी कोई ऐसी लेक बनायेंगे ताकि वे गरीब लोग भी उसका फायदा उठा सकें।

श्री के0 एल0 पोसवालः मैम्बर साहब ने गलत सवाल पूछा है। उनका मकसद तो यह थ कि फरिदाबाद में किसी जोहड़ को साफ करने का इरादा है या नहीं ? (हंसी)

चौधरी दल सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगें कि हरियाणा सरकार ने वजूद में आने के बाद किसी तालाब को लेक में तबदील किया हैं या नही किया हैं, अगर किया हैं तो उसका नाम क्या हैं ?

श्री के0 एल0 पोसवालः स्पीकर साहब, ये सब गलत सवाल पूछ बैठे हैं। हम तो इस चीज को दिमाग में रखकर लेक बनाते हैं कि कौन सी जगह खुबसूरत हैं और विजीटर्ज को अट्रैक्ट कर सकती हैं। हम जोहड़ और तालाब को लेक में नहीं बदलते।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद में कितने ऐसे तालाब या जोहाड़ हैं जिनको लेक में तबदील किया जा सकता हैं ?

Mr.Speaker: It is not a supplementary to this question.

Government Land

***992 Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to State:-

(a) the total area of Government land as on 31st March, 1974; and

(b) the acreage of land allotted to Harijans, Backward Classes separately out of the land referred to in part(a) above during the year 1973-74 ?

Revenue Minister(Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) 3745 acres and 12 malas.

(b) Of the above, 987 acres 3 kanals and I marl(escheated Nazool) were available for transfer by allotment to Harijans and Backward Classes. Of this 3 acres 4 kanals and 16 marlas were transferred to Harijans during 1973-74.

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, पिछले सै ान के अन्दर इसी किस्म के सवाल के जवाब में यह दिया गया था कि 1165 एकड़ तीन कनाल और तीन मरले जमीन सरकार के पास हैं। अब इन्होंने यह कहा हैं कि तीन हजार सात सौ पैन्तालीस एकड़ 12 मरले जमीन हैं क्या वे यह बतायेंगें कि इनके पास इतनी जमीन फालतू कहां से आ गयी ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: If what has been stated by the hon. Member on the floor of the House is correct, I will certainly look into it. But I do not think if there could be so much difference between the figures given now and in the reply given earlier.

चौधरी दल सिंहः मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब आपके पास इतनी ज्यादा जमीन फालतू हैं तो क्या वजह हैं कि आपने हरिजनों को के केवल 3 एकड़ जमीन तकसीम की हैं ? बाकी जमीन अव तक तकसीम क्यों नहीं की हैं ? अगर अभी करनी हैं तो कब करने का इरादा हैं ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: The hon. Member wanted this information to be given for the year 1973-74 only during this period this much land was available. For the information of the hon. Members I may tell that a decision has been taken not to allt these lands to the awardees of Param Vir Chakra and Mahavir Chakra. They would be given cash instead of land allotments and instructions have been issues to the Deputy Commissioners on the 30th July, 1974, to go ahead with the allotments.

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, चौधरी दल सिंह ने कहा हैं कि जवाब में फर्क हैं। दल सिंह जी ने अभी यह कहा हैं कि पिछली बार गवर्नमैंट ने यह बताया था कि उसके कब्जे में इतनी जमीन हैं। इस बार यहां इन्होने मल्कीयत पूछी हैं, इसलिए सवाल में फर्क पड़ गया। सवाल में फर्क पड़ गया इस लिये जवाब में भी फर्क पड़ गया है। इस बार इन्होंनें मल्कीयत पूछी हैं जबकि पिछली बार इन्होंनें यह पूछा था कि गवर्नमैंट के कब्जें में कितनी जमीन हैं।

Mr. Speaker: There must be some difference. The same question cannot be repeated.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Ownership and possession are two different words, having different meaning and conveying different sense.

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय ने सवाल के जवाब में यह बताया हैं कि 3,745 एकड़ जमीन अवेलेबल हैं। क्या वह इस बारे में कोई डेट बताने की कृपा करेंगें कि इस डेट तक इस जमीन को हरिजनों में तकसीम कर देंगें ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः स्पीकर साहब, बात यह हैं कि इसमें भी दो किस्म की जमीन हैं। एक ऐस्चीटिड लैंड और एक नान–एस्चीटिड लैंड। ऐस्चीटिड लैंड ि ाड्यूल्ड कास्टस को नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्ज 1956 के तहत अलाट की जाती हैं। इसमें बैकवर्ड क्लासिज को अलाट करने का कोई प्रोविजन नहीं हैं। I am talking of the escheated land. So far as the non-escheated land is concerned it is leased out sold through public auction or by private negotiations.

श्री अमर सिंहः कब तक यह जमीन ि ाड्यूल्ड कास्टस को अलाट कर देंगे, इसकी डेट तो बता दीजिए ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: I am not in a position to give the approximate date by which this land will be allotted.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह कहा था कि सवाल में सिर्फ 1973.74 के बारे में पूछा हैं। क्या

सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आज तक कुल कितनी जमीन हरिजनों को अलाट कर चुकी हैं ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: For this question I would certainly need a separate notice because this information is not readily available as it was not asked for.

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहब, यह बताने की कृपा करेंगें कि जिन बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों के पसा बिल्कुल भी जमीन नहीं हैं, उनके लिए भी कोई कन्सै ान देने की तजवीज हैं, क्या उनको भी जमीन अलाट करने का सरकार विचार करती हैं ?

पंडित चिरंजीव लाल भार्मा: अब तक हमारा यही विचार हैं कि लैंड होल्डिग्ज एक्ट के तहत रूल्ज बने हैं, उनके मुताबिक हो जो लैंड सरकार के पास होंगी, अलाट की जायेगी।

Surplus Agricultural Land in Posession of the State Government

***967.Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) the total acreage of surplus agricultural land in possession of the State Government at present; and

(b) whether there is any scheme under consideration of the Government to distribute or allot the land referred to in pat (a) above to the Scheduled Castes or Backward Classes; if so, when and in what manner ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) 247 standard acres.

(b) A scheme to utilize this land and other surplus land by allotment to all eligible categories of persons is under consideration of the Government.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि आज कोई जमीन अलाट की भी गयी हैं या नहीं ? अगर की गयी हैं तो कितनी जमीन अलाट की गयी है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: काफी से ज्यादा जमीन अलाट की जा चुकी हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: कृपा करके इस बारे में फिगर्ज दे दीजिए।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, the position is that before Haryana came into being there were two Acts, namely (i) the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 and (ii) the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act,1955. The former Act was applicable to the erstwhile districts of Ambala, Rohtak, Karnal, Hissar and Gurgaon whis the latter Act was applicable to the erstwhile jind and Mohindergarth districts. The land which was surplus under the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 continued to be in the possession of the land-owner and the land whih was declared surplus under the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act,

1955 vested in the Government .Under the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act,6290 standard acres of land was available and out of this 6043 standard acres have been allotted and was available and out of this 6043 standard acres have been allotted and only 247 standard acres remain.Similarly, under the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953.78997 standard acres was available. Out of this 52384 standard acres have been allotted.

Chaudhri Phool Chand(Mullana): May I know from the Revenue minister as to how much lands is likely to come in the surplus pool and by when and the time by which it is likely to eb allotted to Harijans and Tenants ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: The exact figures connot be given. The data is being collected from the Deputy Commissioners. Approximately, we feel.40,000 acres may be available for allotment under the recently passed Haryana Ceiling on Land Holdings Act. The rules have been framed which have been duly published. A State Level Advisory Committee has been formed. Four meetings of the Committee have been held and the plan is being finalized. The matter has been delayed because so many writs had been filed in the High Court. Now that this has been included in the Ninth Schedule of the Constitution, the trouble is removed and we hope to finalize the plan for allotment as early as possible.

चौधरी दल सिंहः मिनिस्टर साहब ने पिछले सै ान में यह फरमाया था कि डेढ़ लाख एकड़ जमीन लैंडहोंल्डिग ऐक्ट के तहत सरप्लस निकलेगी। आज ये फरमा रहे है कि 40 हजार एकड़ सरप्लस होगी। इसमें इतना बड़ा फर्क किस तरह से हो गया हैं ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: स्पीकर साहब, पिछले सै ान या उससे पिछले सै ान के वक्त यह ख्याल था कि एक लाख एकड़ जमीन सरप्लस अवेलेबल होगी लेकिन जो आकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनसे हम इस नतीजे पर पहूंचे हैं कि इतनी जमीन सरप्लस नहीं होगी।

श्री गौरी भांकर: क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगें हरिजनों को जो जमीन अलाट की गई है उसमें से कितनी जमीन पर कब्जा तोड़ दिया हैं और कितनी जमीन पर कब्जा बाकी हैं ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: This supplementary does not arise out of this question. If the Honourable Member is very particular about it, he should give notice of it and I will collect the information.

श्रीमति चन्द्रावती: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि जो जमीन हरिजनों को अलाट की जाती हैं क्या अलाट करते वक्त सरकार इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनको जो जमीन अलाट की जाए वह इक्नामिक होल्डिंग हो ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, as I just submitted the Rules have been framed under the Act for allotemt of surplus land.This fact, of course, is under consideration of the Government as to how much land should be given to a person whether it should be and economic hoding, say, it should be 2 hectares or 5 acres ? This has to be finalized and given practical shape.

श्री ओम प्रका ा गर्ग: मंत्री महोदय का पहले ख्याल था कि एक लाख या डेढ़ लाख एकड़ जमीन सरप्लस होगी लेकिन अब कह रहे हैं कि 40–50 हजार एकड़ सरप्लस होगी। क्या मन्त्री महोदय अब डेफिनिट अ योरैंस देने के लिए तैयार हैं कि वह 40 हजार एकड़ सरप्लस होगी ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: मैंनें ऐप्रोक्सीमेटली का वर्ड यूज किया हैं। डेटा जब पूरा क्लैक्ट हो जाएगा तब कह सकते हैं कि चालीस हजार एकड़ होगी या पचास हजार एकड़ होगी।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, हरिजनो को अलाटमैंट में इसलिए देर होती हैं कि पहले एक या डेढ़ लाख एकड़ जमीन सरप्लस होने जा रही थी और अब कहा जा रहा हैं कि चालीस या पचास हजार एकड़ सरप्लस होगी। क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार का आ वासन देने के लिए तैयार हैं कि फलां तारीख तक यह चालीस हजार एकड़ जमीन हरिजनों में बांट दी जाएगी ?

पंडित चिरंजीव लाल भार्मा: स्पीकर साहब, लैंड होल्डिंग में जो फैमिली की डेफिने ान थी वह हमने अमैंन्ड करनी हैं because certain section and rules had been struck down by the High Court. अब हाई कोर्ट के दरवाजे तो हम बन्द नही कर सकते। जो अड़चने आती हैं वह हम अमैंडमैंट के द्वारा रिमूव कर देते हैं लेकिन मैं सदन को आ वासन देना चाहता हू कि हरियाणा सरकार हरिजनों को ज्यादा फैसिलिटीज देना चाहती है।

चौधरी दल सिंहः क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात हैं कि जो जमीन सरकार हरिजनों को अलाट करती हैं हरिजन उसको बेच देते हैं। जिस फायदे के लिए सरकार उनको जमीन देती हैं वह फायदा उनको नहीं होता। अगर सरकार के नोटिस में ऐसी कोई बात हैं तो इस गल्त प्रैक्टिस को स्टाप करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः स्पीकर साहब, सरकार के नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं आई है लेकिन सरकार ने फूल चन्द नाम की एक कमेटी बनाई हुई हैं। वह हरिजनों मैंम्बरों की कमेटी हैं। उस कमेटी की दो मीटिंग्ज मेरे साथ हो चुकी हैं। इस कमेटी के साथ डिस्क ान के दौरान मेरे नोटिस में आया हैं कि हरिजनों लोग जमीन आगे बेच देते हैं। सरकार के यह बात विचारधीन हैं कि क्या रिस्ट्रिक ान उन पर लगाई जाए क्योंकि हरिजनों को जो जमीन दी जाती हैं वह इसलिए दी जाती हैं कि वे अच्छे एग्रीक्लचरिस्ट बन सकें, उनमें खेती–बाड़ी करने की भावना जागृत हो। इस बात पर गौर किया जा रहा हैं कि क्या रूल्ज बनाये जाए कि व आगे जमीन को न बेच सकें। During the course of discussion in the Phool Chand Committee, this came to my notice.

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृ पा करेंगें कि जमीन दी जाती हैं क्या उसको राइट आफ ओनरि ाप दिया गया हैं या पट्टे पर वह जमीन दी गई हैं ?

पंडित चिरंजीव लाल भार्मा: पहले यह जमीन अलाट की जाती हैं लेकिन कुछ अर्सों के बाद राइट ऑफ ओनरि ाप के बेसिज पर वह उसकी हो जाती हैं।

चौधरी मेहर चन्द: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट ने लैंडहोल्डिंग बिल के बारे में जो डिफैक्ट्स प्वायंट आउअ किए हैं वे कब तक रिमूव हो जाएगें ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: They are being examined. The Law Department is being consulted and....गवर्नमैंट का ख्याल हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई फायदा नही हैं। हम जो डिफक्ट्स हैं उनके लिए अमैन्डमैट्स लाकर रिमूच कर देंगें।

Shrimati Chandrawati : Supplementary please.....

Mr. Speaker : The hon. Members need not repeat 'supplementary please'. When they will catch my eyes, I will call them.

श्रीमति चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि हरिजनों की सारी जमीन इसलिए चली जाती हैं कि वे सारा पैसा दे देते हैं लेकिन एक–दो कि तें कई बार अकाल की वजह से या किसी दूसरी वजह से रह जाती हैं। और इसलिए उनसे जमीन वापिस ले ली जाती हैं ?

पंडित चिरंजीव लाल भार्माः स्पीकर साहब, आनरेबल मैंम्बर ने जो कुछ कहा हैं उसमें कुछ हद तक सदाकत हैं। मेरे नोटिस में बहुत से केसिज आए हैं कि कुछ हरिजन जिन्होंने जमीन ली लेकिन वे पूरी कि त नही दे पाए तो अन्डर रूल्ज तो अक ान करने के आर्डर कर दिए जाते हैं लेकिन बावजूद नोटिस के I will request the Officer concerned tostay that, examine that sympathetically and give them an opportunity to deposit the remaining amount of the instalments.

श्री ओम प्रका ा गर्गः हरिजन जो जमीन बेच देते हैं उसका कारण यह हैं कि उनको अच्छी सहूलियत नहीं दी जाती हैं जो कि एक अच्छे किसान के पास होती हैं जिसकी वजह से वे अच्छे का तकार नही बन पाते और इसीलिए वे जमीन बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको फैसिलिटीज देने की कोि ा ा की जाऐगी जिससे कि वे अच्छे का तकार बन सकें ?

पंडित चिरंजीव लाल भार्माः यह मामला ऐसा हैं जो महकमें से ताल्लुक नही रखता लकिन फूल चन्द कमेटी के साथ डिस्क ान के दौरान उनको क्या फैसिलिटीज दी जाएं,सोचा जा सकता हैं और कमेटी की जो रिकमैंन्डे ान होगी उस पर गौर किया जायेगा।

श्रीमति चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदय यह आ वासन देने के लिए तैयार हैं कि जिन हरिजनों की एक दो कि त रह गई है उनके केसिज पर ठीक से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ?

Pandit Chiranji Lal Sharma: All cases have to be examined on merits. I cannot make a commitment.

लला रूलिया राम: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात आई हैं कि हरिजनों को जमीन अलाट की जाती हैं, एक–दो कि त देने के बाद वे उसको बेच देते हैं ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: मेरे नोटिस में ऐसा कोई केस नही आया हैं अगर आनरबेल मैम्बर के नोटिस में कोई ऐसी बात हो तो वे बताएं उसको जरूर एग्जामिन किया जाएगा। I will certainly examine it.

चौधरी फूल सिंह कटरिया: स्पीकर साहब, हरिजनों को जो जमीन दी जाती हैं दूसरी जमीनों की निस्बत उनकी जमीन खराब हाने के बावजूद भी कीमत बहुत ज्यादा होती हैं। क्या मंत्री महोदय उस जमीन की कीमत घटानें की तरफ कोई ध्यान देंगें ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा: कीमत तो ज्यादा नहीं होती हैं। वह हरिजनों के बीच ही आक ान होती हैं आक ान के वक्त हरिजनों में ही मुकाबला होता हैं।

Industrial Units at Faridabad

983. Shri . K.N. Gulati: Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the total number of Industrial Units totally under the State Government Control situated at Fardabad at present; and

(b) the names and location of the said Industrial Units ?

Industries Minister(Shri Harpal Singh)

(a) Nill

(b) Question does not arise.

श्री के0 एन0 गुलाटी: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि फरीदाबाद जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हैं और हरियाण के अन्दर टाप का एरिया हैं वहां पर एक गवर्नमैंट यूनिट बनाने के लिए दोबारा सोच विचार करेंगी ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, फरीदाबाद में पहले ही इंडस्ट्रीज बहुत हैं इसलिए दोबारा सोचने की कोई बात नही हैं।

Handing over Charge to the Elected sarpanches

***993.Chaudhri Dal Singh:** Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that some ex-sarpanches have not handed over the charge to the newly- elected Sarpacches so far in Jind Sub-Division;

(b) if so, the names alongwith the addresses of such sarpanches as refered to in part (a) above together with the reasons for not handing over the charge;

(c) the time by which the charge likely to be handed over ; and

(d) the action taken or proposed to be taken against the ex-sarpanches as referred to in part (a) above who have not handed over the charge ?

Development Minister (Col. Maha Singh):

(a)NO

(b, c&d)Question does not arise.

Chaudhri Dal Singh: Mr. Speaker, Sir, my question was:-

"whether it is a fact that some ex-Sarpanches have not handed over the charge to thenewly-elected Sarpanches so far in Jind Sub-Division;"

But I find, in the printed list of questions, for"some ex-Sarpanches", the words "same Ex-Sarpaches" have been used. I would, therefore, like to know whether the Government reply is for "same Ex_Sarpanches" or "some ex-Sarpanches" ?

(No reply)

Chaudhri Mehar Chand: may I know from the Honouable Minister whether it is a fact that many ex-Sarpanches, against whom criminal proceedings are going on,

are still continuing as Sarpanches; if so, is it a healthy convention?

Mr. Speaker: It does not arise out of this question.

चौधरी दल सिंहः मैं मंत्री महोदय का ध्यानप अपने यहां के गांव बराखुर्द के सरपंच की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसने आज तक भी चार्ज नहीं दियां। क्या मिनिस्टर साहब यह आ वासन देने के लिए तैयार हैं कि उससे इमिजिएटली चार्ज हैन्ड ओवर करा दिया जाएगा ?

कर्नल महा सिंहः स्पीकर साहब, सरपंच के पास कोई चार्ज नहीं होता हैं। चार्ज ग्राम सेवक के पास होता हैं। दूसरा सरपंच इलैक्ट होते ही उसको आटोमेटिकली चार्ज मिल जाता हैं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगें कि स्टेट में इस वक्त कितने ऐसे सरपंच है, जोकि ससपैंन्ड किये हुए हैं और जिन्होनें अभी तक चार्ज नही दिया हैं और नही नये सरपंचों को पैसे वगैरह का हिसाब ही दिया हैं ?

Mr. Speaker : Order please. This question does not arise in view of the reply given by the Hon.Minister.

Question hour is over

बहिर्गमन

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैंने एक अडजर्नमैंट मो ान पावर कासिज के बारे में दिया था। जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज बन्द पड़ी हुई हैं।

Mr.Speaker: Order please. Order please.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इस सिलसिले में अभी मेरें हाथ में कागज पकड़ाया जा रहा है। स्पीकर साहब, मेरी आप से प्रार्थना हैं कि (विघ्न).....

Mr.Speaker: The motion is not in order. Therefore it has been disallowed.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मो ान नाट इन आर्डर तो इसमें लिखा ही नही हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसको डिस–अलाउ करने के रीजनज क्या हैं ?

Mr. Speaker: I do not want you to read the reasons in the House.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं रि–कंसिड्रें ान के बारे में प्रार्थना करता हूं (विघ्न).....इसमें लिखा हैंकृ

Mr. Speaker: Order please, Order.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं आप एक मिनट हमारी प्रार्थना तो सुनिये...

Mr. Speaker: Order please. Nothing to be recorded as he has not been called upon to speak.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Then I walk out as protest.

(At this stage Chaudhri Ram Lal Wadhwa staged a walk out)

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी एक प्रार्थना हैं कि एक तरफ सरकार यहां पर स्टेटमैंट दे देती हैं कि हम किसानो को 18 घण्टे बितजी देते हैं पर फैक्ट्स इसके बिल्कूल उलट हैं। केवल स्टेटमैंट देने से ही तो काम नहीं चल जाता। कम से कम मैंम्बर्ज को यहां पर बोलने का समय जरूर मिलना चाहिए ?

Mr.Speaker: Tomorrow, a resolution is coming before the House on that subject. You can discuss this matter on that resolution.

First Report o f the Business Advisory Committee.

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज कर दूं।

Mr. Speaker: You can come to my Chambner and discuss it with me there.

श्रीमती चन्द्रावतीः जनबा, आपकी इजाजत से, मैं अपने सवालो के बारे में कुछ पूछना चाहती हूं। आपने कहा था कि क्वै चन आवर के बाद पूछ लेना.....

Mr. Speaker: Order please. I have not allowed you to interrupt like this.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब था कि कम से कम एक मैम्बर को बोलने का मौका मिलना चाहिये। मैं चाहती हूं कि मेरे सवालों का जवाब मिले क्योकिं लोगों के मतलब की बातें हैं (विघ्न)

Mr. Speaker: No, You cannot discuss it like this.

कार्यमन्त्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I present the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business, viz:-

"The Committee, after somne discussion, recommended that the Business on the 27th, 28th November, 1974 abd ib 2nd December, 1974 be transacted as follows:

27th November, 1974 at 2.00 P.M.

1. Question Hour.

2. First Report of the Business Advisory Committee.

3. **Papers to be laid on the Table.**

(i) Agriculture Department Notification No. G.S.R 108/H.A 34/73/S.23/74, dated 28th August,1974.

(ii)Report dated 21st November, 1974 under section 16(7) of the Haryana Board of School Education Act,1969m

(4). (i) Presentation of Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1974-75.

(ii)Presentation of the Report of the Committee on Estimates on the Supplemantary Estmates (Second Instalment) for the year 1974-75.

(5)Legislative Business.

(i)The Haryana Land Holdings Tax (Second) Money Bill. Amendment) Bill,1974, alongwith the resolution for disapproval of the Ordinance No.5 of 1974.

(ii)The Haryana Machanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill, 1974.

Money Bill

(iii)The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment Bill,1974.

Money Bill

(iv)The Haryana Essential Services Maintenance Bill, 1974.

(v)The Haryana State legislature (Prevention of Disqualification) Bill,1974

(vi)The Punjab Gram Panchayat (Haryana Third Amendment) Bill 1974.

(vii)The Punjab New Mandi Townships(Development and Regulation) Haryana Amendment Bill, 1974.

(viii)The Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1974.

28th November, 1974 at 9.30 A.M.

I. Questions Hour.

II. Non-Official Business.

2nd December, 1974, at 2.00 P.M.

I. Question Hours.

II. Discussion and Voting on Supplementary Estimates (Second Instalment) 1974-75."

Home Minister (Shri K.L.Poswal): Sir, I beg to move:-

That this Houses agrees with the recommendation contained in the First Report of the Busindess Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That this Houses agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker: Question is:-

That this Houses agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisrouy Committee.

The Motion was carried.

श्रीमति चन्द्रावतिः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि कल एजण्डे पर मेरे दो सवाल थें उनका जवाब नही दिया गया। एक का नम्बर 321 और दूसरे का 319 था। एक स्टार्ड था परन्तु उसको अन–स्टार्ड कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि पिछले दो सालों में बहुत ज्यादा कतल हुए हैं इसलिये उसे स्टार्ड की बजाये अन–स्टार्ड कर दिया गया है। तो मैं यह चाहती थी कि इन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाए, क्योंकि इसमें जनता का भला है (विघ्न)

Mr. Speaker: Order please. This is not a point of order.

श्रीमति चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, आप मुझे बताएं कि इन सवालों का मुझे कैसे जवाब मिलेगा ? किस रूलज के तहत ऐसा किया गया है ?

Mr. Speaker: The Honourable Member may please refer to rule 112 of our Assembly Rules of Procedure.

मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to lay on the Table the Agricultural Department Notification No. G.S.R. 108/J/A/34/73/S.23/74, date the 28th August, 1974, regarding the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provision (Banks) Rules, 1974, as required

under section 23(3) of the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Act, 1973.

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report regarding closing down of the guest House maintained by the Board of School Education, Haryana, at Chandigarh, as required under section 16(7) of the Haryana Board of School Education At, 1969.

वर्श 1974–75 के अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) का पे ा करना

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Installment) for the year 1974-75.

वर्श 1974–75 के अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पे ा करना

Chairman, Estimates Committee (Malik Sat Ram Dass Batra): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Installment) for the year 1974-75.

दी हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1974

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to introduce the Haryana Land Holdings Tax (Second Amendment) Bill, 1974.

Mr. Speaker: Ch. Ram Lal to move his motion.

(Ch. Ram Lal Wadhwa was not present in the House at that time)

Mr. Speaker: Since the Hon. Member, Ch. Ram Lal Wadhwa, is not here, the Hon. Minister may move the next motion.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, I beg to move:-

That the Haryana Land Holdings Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Land Holdings Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह (जींद): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रैविन्यू मिनिस्टर साहब ने यहां आज हरियाणा भूमि–जोत कर (द्वितीय सं ाोधन) विधेयक, 1974 को सं ाोधित करने के लिये यह बिल पे ा किया है। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ चर्चा करूं, यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि कितनी हैरानी की बात है कि सन् 73 में यह कानून पास हुआ और अब सन् 74 है। तो एक साल के कम अर्से के अन्दर ही सरकार इसमें दोबारा अमैन्डमैंट करने जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीति

क्या है, सरकार का दिमाग किस तरह से काम करता है। हमने देखा है कि अगर आज एक बिल पास करते हैं तो 10 रोज के बाद सं ाोधन करते हैं, इससे बहुत भारी खर्चा हरियाणा की गरीब जनता पर पड़ता है, पब्लिक को नुक्सान होता है और फिर उसको पूरा करने के लिये सरकार टैक्स लगाना चाहती है। तो स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से अर्ज करूंगा कि इन बातों की तरफ सरकार को ध्यान रखना चाहिये और आपको भी इस बात को देखना चाहिये कि बार–बार अमैन्डमैंट करने से यूं ही खर्चा बढ़ता है, जनता पर बोझा पड़ता है, गरीब जनता इससे पिसती है, सो इस तरह से बार–बार बिलों में तरमीम करना कोई भाोभा नहीं देता। इससे हाउस की बदनामी होती है। इसके कारण क्या हैं, इसको तरमीम करने के कारण यह हैं कि इन्होंने जो एक्ट बनाया उस एक्ट के अन्दर इतनी खामियां थीं कि हरियाणा के गावों–गावों से लोगों ने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिट्स की। आप सुन कर हैरान होंगे कि हरियाणा प्रान्त एक ऐसा प्रान्त है जिसके अन्दर 1600 रिटें सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में हुई हैं। मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट में ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी जिसके कारण की इतनी भारी संख्या में रिटें दायर हुई हों यह सरकार पहले तो गल्त कानून बनाती है ओर जब उसके खिलाफ लोग रिटें करते हैं तो फिर तरमीम बार–बार लाती है। इस बिल की कुछ क्लाजिज की भी तरमीम की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी तरमीम यह है कि पहले एक्ट के मुताबिक तो कुटुम्ब में पति–पत्नी और उनके तीन नाबालिग बच्चे दिये गये हैं

और अब कहते हैं कि कुटुम्ब में पति पत्नी और जितने माइनर बच्चे हैं वे भी सारे के सारे भाामिल हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि पहले जमीन की क्लासिफिके ान की जाए और बाद में टैक्स लगाए जाएं। क्लासिफिके ान के तहत सरकार को तीन ग्रेड बनाने चाहिये थे ए, बी और सी। सरकार ने हाउस के अन्दर यह बात कही थी कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर तकरीन तीन करोड़ रूपये के टैक्स लगेंगे। लेकिन स्पीकर साहब बड़े दुःख की बात है कि जिन एरियाज के अन्दर आज तक पानी नहीं आया या आइन्दा भी नहीं आएगा उनको भी इन्होंने ए ग्रेड दिखाया हुआ है। यह किसानों के साथ जुल्म है और मैं कह सकता हूं कि सरकार के . ..... अफसरों ने ही किसानों के साथ यह जुल्म किया है। इसमें कोई भाक नहीं कि सरकार को पैसे की जरूरत होती है लेकिन इसके साथ सरकार को यह भी चाहिये कि वह जो कानून बनाए उस पर पूरी पाबन्द रहे। सरकार अब सिानों से तीन करोड़ की बजाए आठ करोड़ रूपया टैक्स वसूल करने जा रही है और कहती है कि हम नहरी जमीनों को फर्स्ट ग्रेड बनाएंगे। मैं यह कह सकता हूं कि ऐसे–ऐसे गावं हैं जिनमें नहरी रका नहीं है और उनकी जमीनों को फर्स्ट ग्रेड जमीनें दिखाया हुआ है। तो एक तरफ तो ये जनता के ऊपर इतने भारी–भारी टैक्स लगा रहे हैं और फिर कहते है कि हमने इतनी भारी डिवेल्पमैंट कर दी। आज यह सरकार जगह जगह मांगती फिरती है, आज हरियाणा प्रान्त कर्जदार है। मैं मिनिस्टर साहब को कुछ गांव के नाम बतलाना चाहता हूं जहां की जमीनों को गल्त फर्स्ट ग्रेड दिखाया गया है।

मिनिस्टर साहब, इन गांवों के नाम नोट करें, ये हैं:– जाजवान, जाजवान खेड़ी, बड़ौदी, झांजे कला, झांजे खुर्द, बुडाइन, खापड़, भोंगरा, छोटी बराह, चाबरी, एटल खुर्द और बेबरज वगैरह। मैंने ये नाम उन गांवो के लिये हैं जहां पर भाायद कभी भी पानी नहीं आ सका है लेकिन उनको फर्स्ट ग्रेड दिखा दिया गया है। जाजवान जिसके एक चोथाई हिस्से में पानी आता है उसको फर्स्ट ग्रेड में भाामिल किया गया है। पता नहीं यह क्या अजीब सा तमा ाा है। पहले सरकार ने भूमि–कर लगाया फिर आडिंनैस कर दियाजिसके जरिये एक करोड़ 50 लाख रूपये इलैक्ट्रिसिटी की डयूटी लगाई। इसके बाद पांच करोड़ रूपया का बिजली टैक्स लगाया । एक साल के अन्दर इस सरकार ने हरियाणा की जनता पर 13 करोड़ के टैक्स लगाए और मैं यह कह सकता हूं कि इन सारे के सारे टैक्सों का बोझा गीब किसानों और जमींदारों के ऊपर ही पड़ ने जा रहा है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह इस प्रकार की ज्यादती गरीबों के साथ न करे। मैं मानता हूं कि आपकी मैजोरिटी है, आप जो भी चाहें वह पास करवा सकते हैं लेकिन यह ज्यादती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार कानून को गल्त तरीके से इस्तेमाल करके किसानों की लूटती है, यह ठीक नही है। इन्होंने रूल्ज बनाए हैं कि अगर किसी की क्लासिफिके ान गल्त हो जाए तो वह उसके लिये तहसीलदार के सामने एतराज की अर्जी देता है यदि उस अर्जी को तहसीलदार रिजैक्ट कर देता है तो उसे आगे अपील करने के लिये पहले तभी इजाजत मिलती है जबकि वह सारे टैक्स चुका दे। आज कौन

किसान ऐसा हो सकता है, किस में इतनी हिम्मत है जो पहले टैक्स जमा करवाए और बाद में अपील करता फिरे। इसी तरह जिला जींद का जो पहले डिप्टी कमि नर था, उसने पटवारियों को हिदायत की कि तमाम हल्के 'ए' ग्रेड कर दिये जाएं। इस पर कुछ ने एतराज किया कि यह कैसे हो सकता है तो उस डी.सी. ने उनको कहा कि आपने सस्पैंड तो नहीं होना, नौकरी नहीं करनी क्या ? तो इस तरह से किसान को बर्बाद करने की साजि ा यह सरकार बना रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो रूल और एक्ट बनाएं हैं उनको स्ट्रिक्टली फालो किया जाए और टैक्सों की वसूली किसान से इन्साफ से की जाए।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या कोई आनरेबल मैंबर किसी जिले के डी. सी. का नाम स्पैसिफाई करके उसके खिलाफ ऐलीगे ान्ज लगा सकता है ?

Smt. Chandravati: Why not?

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः व्हाई नाट जी मैं आपसे नहीं पूछता हूं। (हंसी)

Mr. Speaker: He should not do so by name.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने ठीक फरमाया है, मेरे दोस्त बड़े काबिल हैं और हाई कोर्ट के वकील भी हैं

लेकिन हैरानी की बात यह है जैसे मैंने अभी जाजवान गांव की मिसाल बताई .....

Mr. Speaker: No repetition. I will not allow you any repetition.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने स्पैसिफिक नाम बताया है, ये अपने अफसरों को बुला कर पूछ सकते हैं। कम से कम मैं यह नहीं कर सकता कि कोई डी.सी. धक्के ाही करता रहे और हम चुप बैइे रहें। जो बात ठीक होती है उसे हम ठीक कहेंगे और जो गल्त होगी उसे गलत कहेंगे। कानून बनान वाले हम हैं लेकिन किसी डी.सी. को यह हक नहीं है कि वह कानून की अवहेलना करें।

Mr. Speaker: Order please. This is not relevant to the Bill.

चौधरी दल सिंहः तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। आज न उनको बिजली मिलती है, न पानी मिलता है और नहीं खाद मिलता है। आप देखें कि आज सीमेंट के एक कट्टे की कीमत 25 रूपये हो गई ह। एक महीने में यह कीमत दुगुनही हो गई है।

Mr. Speaker: What is relevancy of cement to this Bill? I will not allow irrelevant things.

चौधरी दल सिंहः ठीक है जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार को टैक्सों की भरमार नहीं करनी चाहिए। स्पीकर

साहब, आपको मैं सन् 1971 की बातें याद दिलाना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया था कि मैं हरिजनो को जमीन दूंगा। आपको मामूल ही है कि किसान बेचारा भोला–भाला होता है .....

Mr. Speaker: What is relevancy of this to the Bill under discussion? Please be relevant.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, इसकी इसके साथ रैलेवैंसी है, तभी तो मैं बता रहा हूं।

Mr. Speaker: Without connecting the argument how do you say it is relevant?

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने जब लैंड होल्डिंग के बारे में सुना तो उन्होंने दो साल में 9 करोड़ रूपये के स्टैम्प खरीदे। एक तरफ तो किसान को इस तरह से लूटा और दसरी तरफ हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी एक सवाल के जवाब में कहा कि एक साल के अन्दर हरिजनों को तीन एकड़ जमीन दी गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि 9 करोड़ रूपया कोई मामूली चीज नहीं होता है .....

Mr. Speaker: Order please. This is not relevant. I again ask you to be relevant.

चौधरी दल सिंहः अच्छा जी, तो मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बिल पे ा किया गया है यह किसान विरोधी बिल है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि अगर सरकार मेरे सवालों से एलरजिक हो तो मैं बेनाम क्वै चन भेज दिया करूंगी।

Mr. Speaker: You can come to my Chamber and discuss about your question.

Question is:-

That the Haryana Land Holding Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause

Sub-clause (2) of clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Land Holding Tax (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Land Holding Tax (Second Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Land Holding Tax (Second Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा मैकैनिकल वहिकल्ज (ब्रिज टौल्ज) बिल, 1974

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to Introduce the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह (जींद): स्पीकर साहब, मैं हैरान हूं कि आज मिनिस्टर साहब किस तरह के बिल ला रहे हैं कि टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। यह जो बिल इन्होंने पे ा किया है यह भी टैक्स लगाने के बारे में ही है। यह ठीक है कि सरकार को पैसा चाहिये लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि गरीब किसान को ही मारते चले जाओ। मैं वजीर साहब से गुजारि ा करना चाहता हूं कि पैसा लो लेकिन कम से कम किसानों पर रहम करो

और उनको न मारो। इसमें इन्होंने किसान के टैक्टर पर भी टैक्स लगा दिया है और इस पर ही मुझे एतराज है। पहले ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं होता था लेकिन इन्होंने पिछले साल किसान के ट्रैक्टर पर 150 रूपये टैक्स लगा दिया। किसान अपने काम के लिये ही ट्रैक्ट इस्तमेमाल करता है और किराये भाड़े की जहां तक बात है वह तो ऐग्रो इन्डस्ट्री वालों के ट्रैक्टर्ज इस काम के लिये चलते हैं। सरकार ने पहले ही 150 रूपये इन पर टैक्स लगा रखा है और अब यह नया टैक्स और लगाया जा रहा है। इस में कहते हैं कि रूल्ज बनायेंगै और बाद में डीफाइन करेंगे कि किस–किस पुल से ट्रैक्टर गुजरेगा तो टैक्स लगेगा। अगर यह अभी बिल में बता देते कि कौन से वह पुल हैं तो हम अभी ात कर सकते थे कि गलत लगा है या नहीं लेकिन यह बात इन्होंने साफ नहीं की है। पता नहीं बाद में मरजी आई तो किसी पुली के बारे में ही कह देंगे कि इस पर गुजरने पर टैक्स लगेगा। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह कम से कम किसान पर जरूर रहम करें और उनके ट्रैक्टर्ज पर यह तीन रूपये जो पुल पर से जाने का और फिर तीन ही रूपये उससे वापिस आने का टैक्स लगाया जा रहा है इसे न लगाया जाये ताकि लोगों का भला हो सकें। जहां तक किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स लगाने की बात है मैं उसकी मुखलिफत करता हूं और वजीर साहब से अर्ज करता हूं कि किसान के ट्रैक्टर को इस में से निकाल दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause

Sub-clause (2) of clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 9

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 to 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

The Schedule

Mr. Speaker: Question is:-

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब लैंड रैविन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to Introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move:-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा असैं ि ायल सर्विसिज् मैंटिनैन्स बिल, 1974

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to Introduce the Haryana Essential Services Maintenae Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Haryana Essential Services Maintenae Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Essential Services Maintenae Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Essential Services Maintenae Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause

Sub-clause (2) of clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 10

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 to 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Essential Services Maintenae Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Essential Services Maintenae Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Essential Services Maintenae Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन ान आफ डिसक्वालीफिके ान) बिल, 1974

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to Introduce the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह (जींद): स्पीकर साहब, यह बड़ा अजीब सा बिल है। एक लाख जनता का नुमायंदा एम.एल.ए. बनता है लेकिन सरकार कहती है कि वह एम.एल.ए. भी रहे और दूसरे ओहदे भी संभाले। इका यह कहना है कि वह चाहे कितने ही ओहदे संभाल ले तब भी डिसक्वालिफाई नहीं होगा। ये कहते हैं कि वह नम्बरदार भी रह सकता है। बड़ी कमाल की ात हे यदि एक नुमांयदा जिसे पब्लिक ने चुन कर भेजा हो वह नम्बरदार भी रहे। इसी तरह की बहुत सी बातें इन्होंने इस बिल में दी हैं। लिखते हैं:—

"..... (b) Sub-Registrar, whether departmental or hoorary, notary, Oath Commissioner, Official Receiver, not being a whole time salaried Government employee or any othe person who is serving under an insurer, the management of whose controlled business has vested in teh Central Government under the Life Insurance (Emerrgency Provisions) Act 1956 (Parliament Act 9 of 1956)."

इससे आगे भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। कोई चीज इन्होंने छोड़ी ही नहीं है। कहां तक मैं पढ़ूं ? मैं तो समझता हूं कि जितना प्रोविजन पहले था वही काफी था क्योंकि उसी से इन्होंने किसी को माईनर इरीगे ान कार्पोरे ान का चेयरमैन बना कर, किसी को ऐग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान का चेयरमैन बनाकर काफी मालोमाल कर दिया है। इसके बावजूद भी मैम्बर्ज को इतनी

ज्यादा सहूलियतें देना बड़ी हैरानी की बात है। एक मैम्र अगर आनेरी सब–रजिस्ट्रार की हैसियत से काम करेगा तो वह एक तरह से डिप्टी कमि नर के नीचे काम करेगा लेकिन गवर्नमैंट बड़े फख्र के साथ बिल लाई है। इसमें एम.एल.ए. की तोहीन है। साथ ही इससे स्टेट के ऐक्सचैकर पर ऐडि ानल बोझ भी पड़ेगा। इसलिए स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि इस किस्म का बिल, जो हाउस मे मैम्बर्ज की भाान में कोई कमी डालता हो ओर हमारे खर्चे को बढ़ाता हो, हाउस में पे ा नहीं करना चाहिए। मैं पंडित जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि देवता जी इस बिल को आप वापस ले लें। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं।

श्री अध्यक्षः अगर वापस ले लेंगे तो पुराना ऐक्ट लागू रहेगा। इस बात को आप देख लें।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, the hon. Member has not just cared to go through the statement of Objects and Reasons. There is no amendment in the Act. It is only a change in the name/title.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, वैसे तो यह ठीक बात है कि पंजाब की बजाय हरियाणा नाम चेंज करने के लिए ये बिल लाए हैं लेकिन जब बिल को हाउस के सामने लाए हैं और इसको ऐक्ट बनना है तो नए सिरे से इस प्रकार का विचार हो सकता है। मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना

चाहता हूं कि इससे बहुत अच्छा बिल एक और ढंग से आ सकता है। जहां सरकार ने यह लिखा है कि लैजिस्लेटर नम्बरदार बनेगा या दूसरी छोटी–छोटी पोस्टों पर लग सकेगा वहां यदि इस तरह लिख दिया जाए कि लैजिस्लेटर किसी भी पोस्अ आफ प्रौफिट पर लगने के बाद भी डिसक्वालिफाई नहीं होगा। तो फिर जहां ये मर्जी आए किसी को लगाते जाए। फिर तो वह इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का मैम्बर भी बन सकेगा, नम्बरदार भी बन सकेगा, म्यूनिसिपल कमेटी का मैम्बर भी रह सकेगा और दूसरे हर तरह के काम कर सकेगा। अगर सरकार नया बिल लाना चाहती थी तो इसके लिए यह बड़ा आसान तरीका था। स्पीकर साहब, मैं तो इसके हक में नहीं हूं क्योंकि इसके पीछे एक बुनियादी बात है। जनता लैजिस्लेटर को चुन कर भेजती है। वह एक एम.एल.ए. को इसलिए चुनकर नहीं भेजती कि वह यहां आकर आफिस आफ प्रौफिट होल्ड करें और ऐग्जैक्टिव का पार्ट बन करेक उसके काम को चलाए। उसका काम तो लैजिस्लेचर के अन्दर कानून नाने में अपना कांट्रिब्यू ान देना है और ऐग्जैक्टिव जो काम करती है उसको चैक करना है। इसी के लिए जनता उसे चुनकर भेजती है। लोकतंत्र प्रणाली के अन्दर सरकार के तीन विंग हैं ऐग्जैक्अिव, जुडीि ायरी और लैजिस्लेचर। हर विंग के अपने–अपने फंक ान्ज हैं। अगर हम ही बैठ कर यहां कानून बनाएंगे और हम ही उसे अग्जिक्यूट करेंगे तो फिर चैक कौन करेगा ? स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि अगर ये इस बिल को लाने ही लगे थे तो इनको चाहिए था कि कोई अच्दा सा प्रोविजन इसके अन्दर करते। लेकिन इनकी अपनी डिफिकल्टीज

हैं, मु कलात हैं, मैं इस बात को भी रियलाइज करता हूं। अगर इस तरह का कानून न हो तो सरकार कितने दिन टिक सकेगी। यह इनको भली भांति पता है। किसी को इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का चेयरमैन बना कर, किसी को सिकी कार्पोरे ान का चेयरमैन बनाकर, किसी एम.एल.ए. को नम्बरदार बना कर और पता नहीं क्या–क्या बना कर, जनता मं यह कहना कि हरियाणा सरकार जैसी मजबूत सरकार कहीं नहीं मिलेगी, यह एक पोलिटिकल करप ान है। इस पोलिटिकल करप ान को बंद करना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का बड़ा भारी विरोध करता हूं और आपके द्वारा मिनिस्टर महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस बिल को वापिस लें ओर उस ऐक्ट को भी समाप्त करवा लें।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): मैं इस बिल का वैलकम करता हूं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एक अम्बाला के एम.एल.ए. का केस हैं। वह केस सुप्रीम कोर्ट में गया। हमारी एल.आर. ब्रान्च ने पता नहीं नोट किया हे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ही नहीं इससे पहले दो केसिज में यह डिफाइन कर दिया है कि यह आफिस आफ प्रोफिट वाले लैजिस्लेटर क्या हैं ? राम लाल जी ने पहले प्वायंट को देखाहै दूसरे को नहीं देखा। मैं तो दूसरे प्वायंट पर बाद में आऊंगा। हर लैजिसलेटर आफिस होल्ड कर सकता है। जिस आफिस के रिमूव करने के बाद वह फन्डेमैंटल राइट्स जो कांस्टीच्यू ान में दिये हैं वह इंडिया एक्ट 1935 के मातहत सरकारी मुलजिम अपनी

प्रोटैक ान के लिए कोर्ट में अब जा सकता है। इसमें जो पहले प्रिविलेज था, उस नौकरी के सिवाए जिसमें वह चैलिन्ज कर सकता है कि मेरा राइट है, मेरी रिमूवल पर, मेरी प्रोमो ान पर बाकी कोई आफिस यह जनता की वोट से चुने हुअए रिप्रिजैंटेटिव होल्ड करे वह आफिस आफ प्रोफिट नहीं है। यह ऐक्ट भी बिल्कुल सुप्रीम कोअर्ट की रूलिंग की स्प्रिट के मुताबिक है इसलिए मैं इसका वैलकम करता हूं। दूसरे मैं इसलिए भी वैलकम करता हूं कि जो भी एक गांव का नम्बरदार है वह मैम्बर बनना चाहता है और कोई उसी गांव का वकील है एल.एल.बी. है वह भी मैम्बर बनना चाहता है। अब आप यह बतायें कि उस बेचारे नम्बरदार का क्या कसूर है कि वह इलैक ान लड़ने चले तो उसके लिय यह डिस–क्वालिफिके ान हो जाये। वह पहले तो अपनी नम्बरदारी से इस्तीफा दे जो कि उसके दादा, पर–दादा से चली आ रही है वरना वह असैम्बली का मैम्र नहीं हो सकता ह। डैमोक्रेसी राइट टू कांटैस्ट है। इलैक ान पर जो भी बैन है वह अनडेमोक्रेटिक है। यह एक्ट एक अन–डैमोक्रेटिक बैन को रिमूव करता है। डेमोक्रेसी को एक्सपैन्ड करता है। मेरी यह समझ में नहीं आया कि डैमोक्रेसी नैरो कैसे हुई यानी वह डिस–क्वालीफिके ान जो आदमी के इलैक ान लड़ने पर भौकल पुट करती है क्या वे डैमोक्रेसी को नैरो करते हें या वे जो रिमूव करते हैं। इस बारे में मेरी ये दो दलीलें हैं।

तीसरी बात जो मैं साफ कह देता हूं कि नम्बरदार का ओहदा असैम्बली की मैम्बरी से छोटा नहीं है। बहुत सारे आदमी असैम्बली की मेम्बरी छोड़ देंगे लेकिन नम्बरदारी नहीं छोड़ेंगे। मुझे आज कोई नम्बरदारी दे दे और मुझसे असैम्बली की मैम्बरी ले ले तो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मेरा दादा को फांसी हुई थी सन् 1857 में और वह नम्बरदारी की फाइल रोहतक में मौजूद ह। मेरे दादा ने 33 साल तक फोज में रहते हुए केस लड़ा। मेरा बाप सूबेदार मेजर होता था उसने भी नम्बरदारी चाही लेकिन फाइनेन्ाल कमी नर की रूलिंग है कि इस बागी खानदान में नम्बरदारी नहीं जा सकती। मेरे से असेम्बली की मेम्बरी बे ाक ले लें लेकिन मेरे दादा की नम्बरदारी मुझे दे दें तो मैं भाग कर नम्बरदारी मंजूर करूंगा। लोगों को पता नहीं रूरल ट्रेडी ान क्या है ? किसी खानदान में नम्बरदारी बड़ी भारी प्रीविलिज्ड चीज है। उसके मुकाबले में यह अढ़ाई दिन की मेम्बरी दो गालियां सी.एम.साहब ने दे दी, क्या यह उम्र भर की चीज है जिसको इतनी बड़ी समझ बैठे है। नम्बरदार या गांवों के रूलिंग या रेवेन्यू के जो नेटिव अफसर हैं वे बड़े रिस्पैक्टेबल हैं। उनको असैम्बली का इलैक् ान लड़ने का पूरा हक है। चौधरी माडू सिंह को तो याद होगा। एक बड़ा इन्ट्रैस्टिंग मुकदमा था। वह भी नम्बरदारी का ही था। सर भाहाबुदीन के बड़े भाई और सर जफररूला दोनों खानदान आखिर तक लड़ते रहे। उन दोनों को एक जगह मुरब्बे मिल गये थे। फाइनैन्ाल कमि नर की कोर्ट तक वे कुतें और बिल्लियों की तरह से लड़ें। नम्बरदारी क्या चीज

है इसके बारे में कई भाइयों को मालूम नहीं। गांवों के ओहदे को हमारे दादा पर–दादा बहुत बड़ा समझतें रहे हैं। मेरी अर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि डिस–क्वालीफिके ान नहीं है। डेमोक्रेसी का यह तकाजा है कि जितनी डिस–क्वालीफिके ान रिमूव कर दें, वे सही है, बाकी फेवरेटिजम इन ओहदों में नहीं होना चाहिए। यहां तेा यह पोजी ान है कि सी.एम. साहब ने मुस्करा दिया तो एम.एल.ए. साहब निहाल हो जाते है। एक बेचारे इधर बैठे हुये हैं उनसे तो नाराज रहते हैं। एक बहिन पर नाराज हो गये ता बेचारी हल्के में नही जा सकती। यह कोई क्वालीफिके ान याडिस–क्वालीफिके ान की बात नहीं है। यहां तो जब किसी पर ारि ा होने लगे तो बारि ा से खेत के डोल टूट जाते हैं। सुखाने हों तो बादल बिल्कुल खेत से भी बिल्कुल खाली चला जाता है।

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: The House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2 to 4

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to move:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा थर्ड अमैंडमैंट) बिल, 1974

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Sir, I beg to Introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, मैं कोई इस बिल की मुखालफत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। इसमें कुछ लीगल डिफैक्ट हैं, उनको मैं नोटिस में लाना चाहता हूं। अगर वे ठीक करना चाहें तो ठीक कर सकते हैं। इसमें जहां क्लाज 2 की सब–क्लाज 2 की धारा 'ए' की (ii) में लिखा हुआ हैं:–

"(ii) in case of supersession, vacate their seats."

यानि ऊपर कहा गया है:–

"(2) On the suspension or supersession of the Gram Panchayat under sub-section (1), the following consequences shall ensure:-

(b) All members of the Gram Panchayat shall:-

(i) in case of suspension, cease to exerise their powers and perform their functions; and

(ii) in case of supersession, vacate their seats;"

यह जो वैकेट भाब्द है यह गलत है, इसकी जगह सीज होना चाहिए। आगे इनकी मर्जी है। अगर इसमें ये अमैंडमैंट ले आयें तो ज्यादा बेहतर होगा। यह होने से वह वैकेट करने में फिर वह झगड़ा करेगा कि मैं नहीं वैकेट करता। इसके साथ ही 'बी' का जो 'डी' भाग है उसके अन्दर दिया है:—

"(d) the Chief Judicial Magistrate or the District Judge or the Collector, as the case may be, shall withdraw all criminal, civil and revenuse cases pending before suh Gram Panchayat and dispose of them in accordance with law."

मेरा ख्याल है कि इसको ड्राफट करते समय इसके कानसीक्वैंसीज नहीं देखे गये। अब ग्राम पंचायत के अन्दर कोई गड़बड़ हो रही हो तो वे सारे क्रिमनल केसिज विदड्रा होने की बात हो जायेगी। इस तरह से बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें यह जो लीगल बात है। सरकार मान जाये तो ठीक है। मेरी अमैंडमैंट को तो सरकार मानने वाल नहीं

है। वैसे मैं उनके नोटिस में लाया हूं। वे स्वयं चाहे तो ठीक कर लें नहीं तो इनकी अपनी मर्जी है।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ी (यमुनानगर): स्पीकर साहब, यह जो चौधरी राम लाल जी ने वैकेट और सीज की बात कही है, इस बात से ऐसा मालूम पड़ता है कि वे अंग्रेजी कम पढ़े हुए हैं (हंसी)। सीट का होता है वैके ान और पावर का होता है सीज। पावर की बात है इसलिए यहां सीज ही आयेगा। वैके ान सीट का होता है, सीट सीज नहीं होती। सीट तो हमे ाा वैकेट होगी परन्तु पावर सीज होगी। राम लाल जी को अंग्रेजी कम आती है, इसलिए उनसे गलत बात हो गई।

Mr. Speaker: Question is:-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2 to 3

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 to 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Development Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to move:-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब न्यू मन्डी टाउनि ाप्स (डिवैल्पमैंट एंड रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1974

Social Welfare and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to introduce the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now The House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Sh. Shyam Chand: Sir, I beg to move:-

That in clause 2, in the proposed section 9-A, line-1, for the word 'shall' substitute the word 'may'.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That in clause 2, in the proposed section 9-A, line-1, for the word 'shall' substitute the word 'may'.

Mr. Speaker: Question is:-

That in clause 2, in the proposed section 9-A, line-1, for the word 'shall' substitute the word 'may'.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Social Welfare and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to move:-

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1974

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमन्, मैं हरियाणा आवास बोर्ड (सं ाोधन) विधेयक, 1974 पुरः स्थापित करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं:—

दी हरियाणा आवास बोर्ड (सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2 and 3

Mr. Speaker: Question is:-

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 1

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

दी हरियाणा आवास बोर्ड (सं ाोधन) विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

15.25 P.M.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. to Thursday, the 28th November, 1974.)